



दिनांक 25.05.2025

प्रेस विज्ञप्ति 41 / 2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

चर्चित बलिया खाद्यान्न घोटाले में तत्कालीन ब्लाक प्रमुख को ई०ओ०डब्लू० वाराणसी द्वारा किया गया गिरफ्तार

उ०प्र० शासन की प्राथमिकता में शामिल बलिया खाद्यान्न घोटाले में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने हेतु श्री प्रशान्त कुमार पुलिस महानिदेशक उ०प्र० द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में पुलिस अधीक्षक ई०ओ०डब्लू० वाराणसी सेक्टर द्वारा अभियुक्तों की तलाश/गिरफ्तारी के लिये एक टीम का गठन किया गया था।

दिनांक 24.05.2025 को उक्त घटना में संलिप्त वांछित पूर्व ब्लाक प्रमुख श्री मुन्ना सिंह उर्फ सुग्रीव सिंह पुत्र रामलक्ष्मण सिंह, निवासी—ग्राम सरया, थाना पकडी, जनपद बलिया को ई०ओ०डब्लू० टीम द्वारा बलिया से गिरफ्तार किया गया है।

सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का कियान्वयन केन्द्र सरकार / राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2002 से 2005 के मध्य जनपद बलिया के पन्दह ब्लाक के विभिन्न गावों में क्षेत्र पंचायत अंश से मिट्टी कार्य, नाली निर्माण, खड़न्जा, पटरी मरम्मत, सम्पर्क मार्ग, सी०सी० और पुलिया निर्माण का कार्य कराया जाना था। परन्तु कार्य मानक के अनुरूप नहीं और अपूर्ण पाया गया था। बलिया खाद्यान्न घोटाले से सम्बन्धित अभियोग मु०अ०सं०—46ए/2006, धारा—409, 419, 420. 467, 468, 471, 218, 201, 120बी, 34 भा०द०वि०, थाना—सिकन्दरपुर, जनपद—बलिया की विवेचना में पाया कि तत्कालीन ब्लाक प्रमुख द्वारा सम्बन्धित जिम्मेदार अधिकारियों / कर्मचारियों से मिलीभगत कर धोखाधड़ी एवं कूटरचित अभिलेखों के आधार पर लगभग 61 लाख रुपये से अधिक शासकीय धन का गबन करते हुये खाद्यान्न का वितरण मजदूरों को नहीं किया गया है। फर्जी मस्टर रोल भी अभियुक्तों के द्वारा तैयार किया गया था।

इस अभियोग में साक्ष्य संकलन पश्चात कुल 23 अभियुक्तों की संलिप्तता पायी गयी थी। जिसमें उक्त अभियुक्त भी वांछित चल रहा था। अभियुक्त वर्ष 2004—05 के दौरान ब्लाक पंदह का ब्लाक प्रमुख था।



दिनांक 25.05.2025

प्रेस विज्ञप्ति 42 / 2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद मऊ/थाना रानीपुर

• 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 24.05.2025 को थाना रानीपुर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुरस्कार घोषित अभियुक्त संदीप कुमार उर्फ राजा को गिरफ्तार किया गया है।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना रानीपुर पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना रानीपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—संदीप कुमार उर्फ राजा निवासी फतेहपुर थाना रानीपुर जनपद मऊ।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना सेक्टर-58

• 20 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 24.05.2025 को थाना सेक्टर-58 पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मेट्रो स्टेशन नोएडा के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त आसिम उर्फ हाशिम उर्फ लड्डन को गिरफ्तार किया गया है।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरुद्ध जनपद मेरठ व कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर के विभिन्न थानों में हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, आबकारी एक्ट आदि के 10 अभियोग पंजीकृत हैं, गिरफ्तार अभियुक्त थाना सेक्टर-58 पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु कमिश्नरेट स्तर से 20 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना सेक्टर-58 पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1-आसिम उर्फ हाशिम उर्फ लड्डुन निवासी श्याम नगर थाना रेलवे रोड जनपद मेरठ।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना फेस-1

● 20 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 24.05.2025 को थाना फेस-1 पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मदर डेयरी के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त विकास को गिरफ्तार किया गया है।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना सेक्टर-20 पर पंजीकृत गैंगेस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु कमिश्नरेट स्तर से 20 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना फेस-1 पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1-विकास निवासी ब्रह्मपुत्र एन्क्लेव सिद्धार्थ विहार थाना विजयनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद।

जनपद इटावा/थाना सिविल लाइन

● पुलिस कार्यवाही में 10 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार

● चोरी की 01 मोटर साइकिल

● 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद

दिनांक 25.05.2025 को थाना सिविल लाइन व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर लायन सफारी पार्किंग गेट के पास बदमाश की घेराबन्दी की गई तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त शेफा उर्फ शेख मोहम्मद घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से चोरी की 01 मोटर

साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना शिवली जनपद कानपुर देहात पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 10 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना सिविल लाइन पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—शेफा उर्फ शेख मोहम्मद निवासी फूटा तालाब थाना दिबियापुर जनपद औरैया।

बरामदगी

1—चोरी की 01 मोटर साइकिल।

2—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद मुजफ्फरनगर/थाना मंसूरपुर

- लूट की घटना का अनावरण
- पुलिस कार्यवाही में 03 अभियुक्त गिरफ्तार
 - 17 हजार 900 रुपये नगद
 - 01 सोने की चैन, 03 मोबाइल फोन
- 13 आधार कार्ड, 04 पैन कार्ड, पास बुक, एटीएम कार्ड, आयुष्मान कार्ड आदि
- 03 अवैध शस्त्र मय जीवित/खोखा कारतूस
- घटना में प्रयुक्त 01 वैगनार कार बरामद

दिनांक 25.05.2025 को थाना मंसूरपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर एनएच-58 धौला पुल के पास कार सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1— राजेश 2— अभि कुमार 3— साहिल

घायल हो गये, जिन्हे गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 17 हजार 900 रुपये नगद, 01 सोने की चैन, 03 मोबाइल फोन, 13 आधार कार्ड, 04 पैन कार्ड, पास बुक, एटीएम कार्ड, आयुष्मान कार्ड आदि, 03 अवैध शस्त्र मय जीवित/खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 वैगनार कार बरामद हुई। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 24.05.2025 को थाना मंसूरपुर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना मंसूरपुर पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे।

इस सम्बन्ध में थाना मंसूरपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1—राजेश निवासी संगम विहार थाना बन्ना दिल्ली।
- 2—अभि कुमार निवासी संगम विहार थाना बन्ना दिल्ली।
- 3—साहिल निवासी संगम विहार थाना बन्ना दिल्ली।

बरामदगी

- 1—17 हजार 900 रुपये नगद।
- 2—01 सोने की चैन, 03 मोबाइल फोन।
- 3—13 आधार कार्ड, 04 पैन कार्ड, पास बुक, एटीएम कार्ड, आयुष्मान कार्ड आदि।
- 4—03 अवैध शस्त्र मय जीवित/खोखा कारतूस।
- 5—घटना में प्रयुक्त 01 वैगनार कार।

कमिश्नरेंट गाजियाबाद/थाना कोतवाली नगर

- पुलिस कार्यवाही में 01 अभियुक्त गिरफ्तार
- चोरी के माल बिक्री के 05 हजार 200 रुपये नगद
- चोरी की 01 मोटर साइकिल
- 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद

दिनांक 25.05.2025 को थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर राजनगर एक्स0 वीवीआईपी मॉल के पास मोटर साइकिल सवार बदमाश को रोकने

का प्रयास किया गया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त नईम घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से चोरी के माल बिक्री के 05 हजार 200 रुपये नगद, चोरी की 01 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरुद्ध कमिश्नरेट गाजियाबाद के विभिन्न थानों में लूट, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट आदि के अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—नईम निवासी डासना थाना वेव सिटी कमिश्नरेट गाजियाबाद।

बरामदगी

1—चोरी के माल बिक्री के 05 हजार 200 रुपये नगद।

2—चोरी की 01 मोटर साइकिल।

3—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद कौशाम्बी/थाना कोखराज

- 06 अभियुक्त गिरफ्तार

- धोखाधड़ी के 15 लाख रुपये नगद

- 02 मोबाइल फोन बरामद

दिनांक 24/25-05-2025 को थाना कोखराज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चमरूपुर पुलिया से कोखराज जाने वाले मार्ग से 06 अभियुक्तों 1—हरिदास 2—अम्बिकादास 3—बाला प्रधान एवं तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से धोखाधड़ी के 15 लाख रुपये नगद, 02 मोबाइल फोन बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जो असली सोने को दिखाकर, कम दाम पर सोना देने का लालच देकर, नकली सोना देकर धोखाधड़ी की घटना कारित करते हैं।

इस सम्बन्ध में थाना कोखराज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1—हरिदास निवासी पतामुली केन्द्रापरा उड़ीसा।
- 2—अम्बिकादास निवासी ग्राम बेतरा भदरक ग्रामीण बारिकपुर बाजार उड़ीसा।
- 3—बाला प्रधान निवासी मानातीरा जाखापुरा दशामनिया जाजापुर उड़ीसा।
- 4—तीन अभियुक्ता।

बरामदगी

- 1—धोखाधड़ी के 15 लाख रुपये नगद।
 - 2—02 मोबाइल फोन।
-



दिनांक 25.05.2025

प्रेस विज्ञप्ति 43 / 2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा जनपद रायबरेली के नवनिर्मित थाना चन्दापुर का किया गया लोकार्पण

मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 श्री योगी आदित्यनाथ जी की अपराध व अपराधियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेन्स नीति के दृष्टिगत शांति व्यवस्था को सुदृढ़ करने, अपराध एवं अपराधियों पर और अधिक प्रभावी अंकुश लगाने, महिलाओं व आमजनमानस को सुरक्षित वातावरण प्रदान किए जाने के उद्देश्य से जनपद रायबरेली में थाना महाराजगंज क्षेत्रान्तर्गत चौकी चन्दापुर को उच्चीकृत कर नवीन थाना चन्दापुर की स्थापना की गई जिसमें कुल 23 ग्राम (02 ग्राम थाना मिलएरिया व 21 ग्राम थाना महाराजगंज) शामिल हैं।

श्री प्रशान्त कुमार पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा आज दिनांक 25.05.2025 को जनपद रायबरेली के नवनिर्मित थाना चन्दापुर का लोकार्पण किया गया तथा इस अवसर पर थाना परिसर में वृक्षारोपण किया गया, तत्पश्चात थाना चन्दापुर के कार्यालय, हवालात, सीसीटीएनएस (क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम) और मालखाना आदि का निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश दिये गये।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा 12 ग्राम प्रहरियों को साइकिल, छाता व लाठी वितरित करते हुए कहा गया कि "ग्राम प्रहरी पुलिस व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और उनके योगदान को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता है"

इस अवसर पर अपर पुलिस महानिदेशक लखनऊ जोन लखनऊ, पुलिस महानिरीक्षक लखनऊ परिक्षेत्र लखनऊ, जिलाधिकारी रायबरेली, पुलिस अधीक्षक रायबरेली सहित पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारीगण, ग्रामवासी, जनप्रतिनिधि एवं मीडिया बन्धु उपस्थित रहें।







